**SDCC BANK LTD**

Reg. No.- HQ-1981
RBI Licence No.-RPCD DCCB/PAT-11/2011-12
**Head Office - Samastipur**
Branch- ..............................................

**The Samastipur District Central Co-Operative Bank Ltd.**

Head Office- Court Compound, Samastipur
Phone No.- 06274-223282, 221240
Fax No.- 06274-223282
Web Site-dccbsamastipur.com
E-Mail-dccbsamastipur@gmail.com

Ref. No.- 479          Date- 24/11/17

प्रेषक :- **मो0 जैनुल आबदीन अंसारी,**
प्रबन्ध निदेशक,
दि समस्तीपुर डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिभ बैंक लि0
समस्तीपुर।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक/शाखा प्रभारी
दि समस्तीपुर डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिभ बैंक लि0,
शाखा-समस्तीपुर/दौलतपुर/कल्याणपुर/दलसिंहसराय/पटोरी/ताजपुर/एवं सिंघिया।

विषय :- **घान अधिप्राप्ति 2017-18 खरीफ विपणन मौसम अन्तर्गत पैक्सों को कैश केडिट ऋण की सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः- मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-5765 दिनांक-14.11.2017, कार्यालय-निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार पटना के पत्रांक-7960 दिनांक-06.10.2017, पत्रांक-7133 दिनांक-06.09.2017, पत्रांक-8087 दिनांक-11.10.2017, पत्रांक-8589 दिनांक-03.11.2017, पत्रांक-9021 दिनांक-21.11.2017, पत्रांक-8856 दिनांक-14.11.2017, पत्रांक-8900 दिनांक-16.11.2017 बिहर राज्य सहकारिता बैंक लि0, पटना के पत्रांक-961 दिनांक-16.11.2017, बिहार सरकार, खाध एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-5765 दिनांक-14.11.2017, जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-1241 दिनांक-23.11.2017,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, प्रसंगाधीन पत्र एवं बैंक के निदेशक मंडल के निर्णय के संबंध में सूचित करना है कि जिला अन्तर्गत पैक्सो/व्यापार मंडलों को कैश केडिट ऋण की सुविधा उपलब्ध करानी है। सभी पैक्सों/व्यापार मंडलो को इस कार्यक्रम के सुगम संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्य के मूल्य के आवश्यक वांछित मात्रा की सीमा तक कैश केडिट की सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

1. खरीफ विपन्न मौसम 2017-18 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान-1550/- रू. प्रत क्वींटल एवं "ए" ग्रेड धान 1590/- रू0 प्रति क्वींटल हैं। इस वर्ष धान अधिप्राप्ति की अवधि 15.11.2017 से 31.03.2018 निर्धारित है।
2. जिले के कृषकों को उनके उपज का तत्काल न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना इस कार्य का मुख्य उददेश्य है।
3. बैक द्वारा पैक्सों से 11% की दर से व्याज भारित की जानी है।
4. इस ऋण राशि की अविधि 11 माह के लिए होगी एवं निर्धारित अवधि में सभी शखा तत्संबंधी राशि वसूली कर प्रधान कार्यालय को वापस करेंगें, ताकि बिहार राज्य सहकारी बैंक को इस राशि को लौटाया जा सके।
5. इस राशि का उपयोग पूर्णतः कार्यशील पूँजी के रूप में चकीय व्यवस्था के अंतर्गत पैक्स द्वारा किया जायेगा।
6. यह योजना राज्य सरकार के दिशानिर्देश के अनुरूप हो रहा है अतः इसका कियान्वयन खाधान्न अधिप्राप्ति हेतु ही किया जाना है।
7. सभी शाखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगें कि जिन किसानों का Online Registration जिस पैक्स/व्यापार मंडल हेतु किया गया है उसी पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से भुगतान होगा।
8. गतवर्ष एवं पूर्व में इस प्रयोजन हेतु दी गई कैश केडिट ऋण की राशि वापस नहीं करने वाले पैक्सों या वैसी समितियाँ जिन्होने 31.03.2016 तक का अंकेक्षण नही कराया है को इस वर्ष इस ऋण के उपयोग की सुविधा नहीं रहेगी।

Reg. No.- HQ-1981
RBI Licence No.-RPCD DCCB/PAT-11/2011-12
**Head Office - Samastipur**
Branch- ..................................................

Head Office- Court Compound, Samastipur
Phone No.- 06274-223282, 221240
Fax No.- 06274-223282
Web Site-dccbsamastipur.com
E-Mail-dccbsamastipur@gmail.com

Ref. No.- ..................... Date- .........................................

9. वैसे पैक्सो को कैश केडिट ऋण की सुविधि उपलब्ध करायी जायगी, जिनका चयन अधिप्राप्ति कार्य हेतु जिला टास्कफोर्स द्वारा किया गया है।
10. सभी शाखा प्रबंधक, ऋण आहरण के पूर्व अपना Agreement/Pronote/etc अन्य एकरारनामा सक्षम प्राधिकार एवं पैकस प्रबंध परिषद के निर्णय के उपरान्त ही कियान्वयन करेंगें।
11. सभी शाखा प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि कैश केडिट वित्तपोषण के लिए प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से प्राप्त Online Advice की प्रिंट कॉपी की सत्यापित प्रति का एप से मिलान के उपरान्त संबधित किसान के खाते में RTGS/NEFT/CBS/ A/cc Tranfer के माध्यम से किया जाय।
12. पैक्सों द्वारा अधिप्राप्त धान/CMR की मात्रा के मूल्य का भुगतान ततकाल राज्य खाध निगम द्वारा कर दिया जाना है। सभी शाखा प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि वे सुनिश्चित कर ले कि पैक्सों द्वारा अधिप्राप्ति की गई धान की मात्रा के अनुपात में राज्य खाध निमग को उसी समानुपातिक मात्रा के धान/सी.एम.आर. की आपूर्ति कर दी गई है। पैक्सों द्वारा कृषकों को की गई भुगतान राशि के मात्रा एवं अनुपात में राज्य खाघ निगम से संबंधित मात्रा एवं अनुपात की राशि पैक्सों को प्राप्त हो जाना सुनिश्चित कर ली जाय ताकि उपलब्ध ऋण का चकीय उपयोग संचालित होता रहे।
13. निदेशक परिषद की बैठक दिनांक–12.10.2017 के प्रस्ताव संख्या–2 में पारित प्रस्ताव के अनुसार निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

    1. जिला टास्क फोर्स से अनुमोदन की प्रत्याशा में उनके निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कितनी राशि की आवश्यकता पेक्स को है उस अनुसार उस समिति के लिए Sanction Limit अधिकतम मो0–2000000.00 होगी या जिला टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित लक्ष्य के समतुल्य होगा, एवं Drawing Limit एक समिति को प्रथमबार मो0–1000000.00 अधिकतम वित्त पोषण किया जाय या बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि0 पटना द्वारा स्वीकृत कैश केडिट ऋण के प्रतिशत के समतुल्य होगा।,
    2. जब समिति बिन्दु एक के अनुसार धान अधिप्राप्ति हेतु भुगतेय राशि के समतुल्य चावल बिहार राज्य खाध निगम को उपलब्ध करा देने के उपरान्त जमा चालान का रसीद/साक्ष्य उपलब्ध कराने के उपरान्त शेष बचे Sanction Limit में से पुनः Drawing Limit की वृद्धि बिन्दु (i) के अनुसार कर भुगतान किया जायेगा।
    3. बैंक के उपविधि एवं समिति के उपविधि के अनुसार संबद्ध समितियों को वित्तपोषण करने में बैक शेयर मद में राशि जमा करनी है। जिस परिपेक्ष्य में स्वीकृत होने वाले ऋण का 10 प्रतिशत समिति के शेयर खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। समिति द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु जमा किये गये शेयर की राशि को धान अधिप्राप्ति हेतु स्वीकृत राशि/वित्तपोषित राशि की पूर्ण वसूली या शेयर में जमा राशि के समतुल्य ऋण राशि बकाया रहने पर शाखा स्तर से समिति की अनुशंसा के आलोक में समायोजित कर दी जायेगी। जिससे कि बैंक के सी.आर.ए.आर. में किसी प्रकार की कमी नहीं हो।
    4. चुँकि समितियों द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु स्वीकृत होने वाली ऋण राशि के विरूद्ध शेयर की राशि जमा करायी जा रही है। अतः पूर्व वर्षो की भांती इस वर्ष भी प्रोसेंसिग चार्ज की राशि बैंक द्वारा नहीं वसूली करने की अनुशंसा की जाती है।
    5. धान अधिप्राप्ति अवधि में प्रभारी शाखा प्रबंधक स्वंय भी धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण निरन्तर करना सुनिश्चित करेंगे ।
    6. प्रभारी शाखा प्रबंधक राज्य खाद्य निगम के कार्यालय से नियमित रूप से सम्पर्क

स्थापित कर पैक्स/व्यापार मण्डलों द्वारा CMR की आपूर्ति एवं भुगतान की स्थिति की जानकारी निरंतर प्राप्त करते रहेंगे। यदि किसी भी स्तर पर कोई संदेहात्मक स्थिति, कैश–क्रेडिट ऋण राशि की वसूली में कठिनाई, आदि की संभावना किसी भी स्तर पर दृष्टिगत हो तो, अविलम्ब विधिसम्मत कार्रवाई करते हुये मुख्यालय को तुरन्त सूचित करेंगे ।

7. धान–क्रय की ऑनलाईन रिपोर्टिंग का सत्यापन स्थल–निरीक्षण कर तथा संबंधित प्रखण्ड स्तर के सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों से भी धान का भैतिक सत्यापन प्रतिवेदन नियमित रूप से प्राप्त कर उसकी जॉच करते रहेंगे। तदनुसार ही भुगतानं की अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किरेगें

8. कार्यालय द्वारा प्रस्तुत ऋण स्वीकृति आवेदन के प्रारूप प्रति को अनुमोदित किया गया। तथा उक्त आवेदन को बैंक के Website पर प्रकाशित कराया जाय।

14. बैंक के उप–विधि के अनुसार संबद्ध समितियों को वित्त पोषण करने में शेयर मद में राशि जमा करानी है जिस परिपेक्ष्य स्वीकृत किये गये ऋण के अनुसार वित्त पोषण करते समय Drawing Limit के समतुल्य राशि का 10 प्रतिशत शेयर मद में जमा कराना सुनिश्चित की जाय। यह जमा Santion Limit तक की जा सकती है।

15. किसानों के खाता में धान का मूल्य स्थानांतरित करने के उपरान्त उसी क्षण शाखा प्रबन्धक धान अधिप्राप्ति एप या ईन्टरनेट के माध्यम से स्थानातरित किये गये किसाने के भुगतान संबंधी विवरणी ऑन लाईन कर देगें।

16. प्रति किसान से धान कय की अधिकतम सीमा 150.00 क्वींटल (एक सौ पच्चास) क्वींटल तक एवं रैयत कृषकों से 50.00 (पच्चास) क्वींटल निर्धारित होगी, जिससे कि अधिक से अधिक लधु सीमान्त किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके।

17. सभी शाख प्रबंधक स्वीकृत कैश केडिट ऋण के आहरण के पूर्व निर्धारित ऋण प्रपत्र को पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार कियान्वयन सुनिश्चित करेगें।

18. इस प्रयोजन हेतु स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना है अतः इस पर पूर्ण सजगता से ध्यान रखा जाय। इसके लिए सभी शाखा प्रबंधक/शाखा प्रभारी जिम्मेवार होंगें।

19. सभी शाखा प्रबन्धकों को निदेश दिया जाता है कि पैक्सों का ससमय अंकेक्षण/एवं लेखा सत्यापन कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगें।

20. इस सम्पूर्ण कैश केडिट ऋण परिचालन में जो भी वित्तीय लेन–देन होगें उनका अलग से अंकेक्षण कराया जायेगा। अतः इसके लिए अलग लेखा का संधारण उचित तरीके से करना आवश्यक होगा। आप अवगत है कि धान अधिप्राप्ति राज्य रकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसे सफल बनाने का उत्तरदायित्व पैक्सों के साथ–साथ जिला सहकारी बैंक की शाखाओं की भी हैं।

विश्वासभाजन

23.11.17

प्रबन्ध निदेशक

23/11/17

प्रबंधक लेखा

सहायक प्रबंधक